संख्या-544/2017/1918/22-2-2016-17(226)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 12 जुलाई, 2017**

विषय:- जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय बाल्मीकी पुत्र श्री दिलदार, निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी संजय बाल्मीकी पुत्र श्री दिलदार, मो0 आर0बी0एल0 रोड, न्यू हैदराबाद, थाना महानगर, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बन्दी शराब का लती था तथा अपनी पत्नी के साथ अक्सर मारपीट करता था। पति के क्रूर व्यवहार से क्षुब्ध होकर पत्नी ने सक्षम न्यायालय में पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए वाद दायर किया, जो बन्दी को नागवार गुजरा। बन्दी ने दिनांक 01.06.1998 को पत्नी प्रेमवती के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1096/2001 (सजायावी वारण्ट के अनुसार) तथा 1096/98 (निर्णय प्रति के अनुसार) के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 ए0डी0एस0जे0 न0-1, लखनऊ के आदेश दिनांक 09.05.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2015 तक 17 वर्ष 00 माह 17 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 09 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी शराब का लती था पत्नी द्वारा गुजारा भत्ता मांगने से क्षुब्ध होकर निर्दयतापूर्वक चाकू मारकर पत्नी प्रेमवती की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु-43 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है, जिसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी संजय बाल्मीकी पुत्र श्री दिलदार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी संजय बाल्मीकी (बन्दी संख्या-1143/2001) पुत्र श्री दिलदार, निवासी जनपद-लखनऊ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-544/2017/1918(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-लखनऊ।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-544/2017/1918@22-2-2016-17(226)/2017

दिनांक 12 जुलाई, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बन्दी संजय बाल्मीकी (बन्दी संख्या-1143/2001) पुत्र श्री दिलदार, मो0 आर0बी0एल0 रोड, न्यू हैदराबाद, थाना महानगर, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बन्दी शराब का लती था तथा अपनी पत्नी के साथ अक्सर मारपीट करता था। पति के क्रूर व्यवहार से क्षुब्ध होकर पत्नी ने सक्षम न्यायालय में पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए वाद दायर किया, जो बन्दी को नागवार गुजरा। बन्दी ने दिनांक 01.06.1998 को पत्नी प्रेमवती के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1096/2001 (सजायाफ्ता वारण्ट के अनुसार) तथा 1096/98 (निर्णय प्रति के अनुसार) के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 ए0डी0एस0जे0 न0-1, लखनऊ के आदेश दिनांक 09.05.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2015 तक 17 वर्ष 00 माह 17 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 09 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा है कि बन्दी शराब का लती था पत्नी द्वारा गुजारा भत्ता मांगने से क्षुब्ध होकर निर्दयतापूर्वक चाकू मारकर पत्नी प्रेमवती की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु-43 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है, जिसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी संजय बाल्मीकी पुत्र श्री दिलदार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in